१	संस्था का नाम	:	श्री गिर्राज महाराज ऐजूकेशनल एवं चेरीटेबल सोसायटी, मथुरा
२	संस्था का पता	:	5, आर्मी गार्डन, कृष्णानगर, मथुरा फोन: 2420449, 2520449
३	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
४	संस्था का उद्देश्य	:	संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे –

१ संस्था का उद्देश्य कार्यक्षेत्र में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना एवं शिक्षा विकास हेतु जगह जगह विद्यालयों की स्थापना करना, उनका विधिवत , संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, भौतिक, शैक्षिक, चारित्रिक विकास कर उन्हें योग्य बनाना।

२ संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राइमरी स्तर से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर और आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय स्तर के विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन करना।

३ संस्था का उद्देश्य निर्धन, असहाय, अनाथ, अपंग बच्चों के लिये निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उनकी सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास एवं क्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना करना एवं उन्हें योग्य बनाने हेतु तकनीकी एवं ग्रामोद्योगी शिक्षा आदि ,देकर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना।

४ संस्था का उद्देश्य बच्चों में परस्पर एकता एवं भाईचारे की भावना पैदा करना तथा उनमें देशप्रेम की एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जाग्रत करना।

Aditya Shukla
Ashutosh Shukla
चन्द्रप्रकाश मीतल
Jyoti Shukla
Mukesh Gupta

Scanned By Scanner Go

५ संस्था का उद्देश्य कार्यक्षेत्र मे शिक्षा, विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना एवं प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरीटेबिल कार्यो पर व्यय करना।

६ संस्था का उद्देश्य समय समय पर सांस्कृतिक बाल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना व उनका संचालन करना।

७ बालक–बालिकाओं को व्यवहारिक शिक्षा देकर अनुशासन एवं देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना एवं अच्छे नागरिक बनाना।

८ बालक–बालिकाओं की प्रगति व उत्थान के लियें धार्मिक शिक्षा एवं विधि एवं सामाजिक शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करना।

९ संस्था का उद्देश्य निर्धन, अनाथ, असहाय, विकलाग बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, हस्तशिल्प कला, वस्तुकला, दरी, कालीन, कम्प्यूटर टाइपिंग, आशुलिपि एव अन्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वियत कर उन्हें स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाना तथा रोजगारपरक कोर्सो का अध्ययन प्रदान कर बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाना।

राजेन्द्र कौशिक

Mukesh Gupta

Ashutosh Shukla

Aditya Shukla

चन्द्र प्रकाश गोयल

मोहन नारायण शर्मा

विशम्भर दयाल

अनुराधा शुक्ला

Jyoti Shukla

उप निबन्धक

Scanned By Scanner Go

12. संस्था के कोष : संस्था के कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक [illegible] खाता खोलकर रखा जायेगा, [illegible] अथवा एवं के प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से [illegible] जायेगा।

13. संस्था का लेखा परीक्षण ऑडिट : संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन [illegible] योग्य ऑडीटर अथवा चार्टर्ड [illegible]

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व : यदि दुर्भाग्यवश संस्था पर कोई मुकदमा [illegible] मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक/सचिव अथवा [illegible] अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

15. संस्था के अभिलेख : संस्था के अभिलेख निम्न प्रकार के होंगे

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. लैजर कैशबुक, स्टॉक रजिस्टर आदि

16. संस्था का विघटन : संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट [illegible] व 14 के अनुसार की जायेगी।

दिनांक : 19—05—2008

सत्य प्रतिलिपि

[illegible] Ashutosh Shukla

Aditya Shu[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
[illegible] फर्म्स तथा सोसाइटी

3/6/2008

Scanned By Scanner Go